संख्या- 65/2015/1506/22-4-14-48(44)/10

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 16 मार्च, 2015

विषय- केन्द्रीय कारागार, बरेली की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण के पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय /वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 36098/नम-2, दिनांक- 02 दिसम्बर, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली की वर्तमान मुख्य प्राचीर के बाहर नई मुख्य प्राचीर के निर्माण की मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या- 424/22-4-2011-48(44)/10, दिनांक 07.02.2011 द्वारा रू0 849.37 लाख की लागत पर प्रदान की गयी थी। सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय प्रश्नगत निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु प्राप्त पुनरीक्षित आगणन लागत रू0 10,79,44,000/-(रूपया दस करोड़ उन्यासी लाख चौवालिस हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) पुनरीक्षित आगणन में लागत का आंकलन प्रस्तावित कार्यों एवं मात्राओं के अनुसार किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(3) कार्यदायी संस्था/महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(4) निर्माण की लम्बाई/चौडाई में परिवर्तन, प्रस्तावित डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यों के आकार एवं योगफल में वृद्वि एवं अन्य विशिष्टियां इस्तेमाल करना आदि सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

(5) प्रयोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक कारागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6) प्रायोजनान्तर्गत लो बैण्ड पर प्रस्तावित अतिरिक्त कार्य यथा आर0सी0सी0 कालम आर0सी0सी0 बीम, ब्रिक वर्क, माइल्ड स्टील तथा मिट्टी भराई के कार्य की आवश्यकता व औचित्य तथा लागत के सम्बन्ध में महानिरीक्षक कारागार अपने स्तर पर परीक्षण कर स्वंय संतुष्ट होने के पश्चात उक्त कार्य मदों की लागत की स्वीकृति पर विचार करेंगे तद्दनुसार प्रोयाजना की लागत संशोधित समझी जायेगी, जिसे पुनः व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुण्वत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी तथा वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

(8) निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(9) पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगा।

2- प्रायोजना के पुनरीक्षित आगणन के मूल्यांकन से सम्बन्धित टिप्पणी की छाया प्रति संलग्न है।

3- पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुण्वत्ता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति विवरण शीघ्र उपलब्ध कराया जाय ताकि परियोजना की अवशेष धनराशि स्वीकृत की जा सके।

4- इस समबन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 मे अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-08-समान्य-051-निर्माण-03-कारागारों का उच्चीकरण, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्वार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक में उपलब्ध बजट से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के के अशासकीय पत्र संख्या- ई-12-324/दस/2015, दिनांक 13 मार्च, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

<u>संख्या- 65/2015/1506(1)/22-4-14-तद्दिनांकित-</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, बरेली।
(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in